नगर परिषद ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017

भाग–एक

1 (क) प्रारम्भिकः–

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255 (1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1–376/81–फिन (एल0ए0)–खण्ड IV दिनांक 16.10.08 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर परिषद ठियोग, जिला शिमला के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्न प्रधान व कार्यकारी अधिकारी आहरण एवं संवितरण अधिकारी के पद पर कार्यरत्त रहेः–

क्र0सं0	प्रधान का नाम	तैनाती की अवधि
1	श्री हेम राज वर्मा	1.4.2015 से 12.2.2016
2	श्रीमती शान्ता शर्मा	13.02.2016 से अभी तक
कार्यकारी अधिकारी		
1	श्रीमती कंचन वाला	1.4.15 से 8.3.16
2	श्री नारायण सिंह वर्मा	14.3.16 से 29.9.16
3	श्री मोहीराम शर्मा	1.10.16 से 16.3.17
4	श्री अनिल चौहान	20.3.17 से अभी तक

(ख) नगर परिषद ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के लेखों अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 तक के अंकेक्षण में पाई गई अनियमितताओं का संक्षिप्त सारः–

क्र0सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा सं0	राशि
1	दिनांक 31.3.2017 तक प्रतिभूति की शेष राशि को नगर परिषद निधि/लेखों में न दर्शाना	6	11.98
2	दिनांक 31.3.2017 तक अनुदान राशि व्यय हेतु शेष	7	275.84

3	डी0ए0वी0 स्कूल के पास कार पार्किंग व सामुदायिक हाल के निर्माण कार्य पर अनुचित व्यय	8	56.82
4	4th State Finance Commission के अनुदान की राशि का पैन्शन एवं ग्रेच्युटी फण्ड के लिए अनियमित स्थानान्तरण करना	9	5.50
5	स्थापना पर अनियमित व्यय	10	40.27
6	दिनांक 31.3.2017 तक गृह कर की वसूली शेष	11	77.55
7	दिनांक 31.3.17 तक दुकानदारों से किराये राशि की वसूली शेष	12	30.42
8	व्यवसायिक परिसर नजदीक बस स्टैंड की दुकानों की लीज राशि की वसूली न करना	13	25.26
9	पटटे पर दी भूमि की पटटा राशि की वसूली न करना	14	0.42
10	मोबाईल कम्पनियों से टावरों की नवीनीकरण शुल्क की राशि की वसूली न करना	15	0.19
11	गल्त गणना के फलस्वरूप संविदाकार को अधिक भुगतान	17	0.19
12	श्रेणी–4 के कर्मचारियों को 20 वर्ष सेवा उपरान्त अतिरिक्त वेतन वृद्धि देने पर अनियमित भुगतान	23	1.93

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **"परिशिष्ट–अ"** पर दर्शाई गई है। यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः नगर परिषद इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्यवाही सुनिश्चित करें व अनुपालना से यथा समय इस विभाग को अवगत करें, ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

नगर परिषद ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण श्री अनिल कुमार, सहायक नियन्त्रक द्वारा दिनांक

2.6.17 से दिनांक 4.8.2017 तक किया गया। आय व व्यय की विस्तृत जाँच के लिए क्रमशः माह 8/15, 8/16 व 8/15, 10/16 के लेखाओं का चयन किया गया जिसके परिणामों को अनुवर्ती पैरों में समाविष्ट किया गया है।

वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण नगर परिषद के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर किया गया है। संस्था द्वारा दी गई गलत सूचनाओं अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

नगर परिषद ठियोग के लेखाओ अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 तक के अंकेक्षण करने का शुल्क ₹42000 बनता है। कार्यकारी अधिकारी को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 10 दिनांक 4.8.17 द्वारा इस राशि को सरकारी कोष में जमा करवाने हेतु निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–9 को शिमला को देय रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा भेजने का अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः–

अंकेक्षणाधीन अवधि की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से था। प्रस्तुत वित्तीय स्थिति नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना व रोकड़ बही में दर्शाए गए आंकड़ों पर आधारित हैः–

वर्ष	आय का स्त्रोत	आरम्भिक शेष	आय	कुल आय	व्यय	अन्तशेष
2014–15	अपने स्त्रोत से	8058060.05	7872826.00	15930886.05	14059508.62	1871377.43
	अनुदान से	5881317.78	17907636.00	23788953.78	11597906.00	12191047.78
	कुल आय	13939377.83	25780462.00	39719839.83	25657414.62	14062425.21
2015–16	अपने स्त्रोत से	1871377.43	7435178.70	9306556.13	8014669.36	1291886.77
	अनुदान से	12191047.78	9059448.00	21250495.78	8282321.00	12968174.78
	कुल आय	14062425.21	16494626.70	30557051.91	16296990.36	14260061.55
2016–17	अपने स्त्रोत से	1291886.77	11663242.50	12955129.27	9844424.82	3110704.45
	अनुदान से	12968174.78	25644093.00	38612267.78	11027969.00	27584298.78
	कुल आय	14260061.55	37307335.50	51567397.05	20872393.82	30695003.23

4.1 दिनांक 31.3.2017 को विभिन्न बैंकों में जमा राशियों का विवरण निम्न प्रकार से थाः–

निधि का नाम	बैंक का नाम एवं खाता सं0	31.3.17 को बैंक में जमा राशि का ब्यौरा
एम0सी0 फण्ड	एचडीएफसी (50100067775469)	1374482.82
सरकारी अनुदान चालू खाता	एस0बी0आई0 (34956852048)	10794.50
(एम0पी0/एम0एल0ऐ Misc अनुदान)	स्टेट को–ओपरेटिव बैंक (6246)	3448806.00
डिपोजिट एकस्ट्रा क्नजपमे मजब	स्टेट को–ओपरेटिव बैंक (7472)	326846
पण्मण स्पुनवत मजबण		
एम0आई0एस0सी/एस0डब्लयू0एम	एच0डी0एस0सी0 50100019125420	427251.41
एमसीफण्ड मुख्य कार्यालय शिमला कोओप्रेटिव बैंक	43820104642	1000
चालू खाता सर्विस टैक्स इत्यादि आन लाईन नैटबैकिंग	एस0बी0आई 35077686386	8565
सावधि योजना में राशियाँ	30371303827	70000
एस0बी0आई0 ठियोग एस0बी0आई0 ठियोग स्वीप एकाउन्ट	34956852048	25031659.50
	कुल जोड	**30699405.23**

4.2 बैंक समाधान विवरणिकाः–

रोकड़ बही के अनुसार 31.3.2017 को अन्तशेष 30695003.23

जमाः–

निम्नलिखित चैक बैंक भुगतान के लिए जारी किए परन्तु बैंक में भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुये

बैंक का नाम	चैक सं0	दिनांक	राशि ₹ में
एचडीएफसी	000209	29.3.17	2052
एचडीएफसी	000303	29.3.17	490
एचडीएफसी	000298	29.3.17	510

एचडीएफसी	000294	16.3.17	1350	
	कुल जोड	**4402**	**4402**	
	अन्तशेष		**30699405.23**	

5 सावधि योजनाः–

अवधि 31.3.17 तक सावधि योजना के अन्तर्गत निवेशित राशियों का ब्यौरा निम्नलिखित थाः–

क्र0सं0	एफ0डी0आर0सं0	राशि (₹) में	अवधि	ब्याज प्रतिशत	परिपक्व राशि ₹ में
1	TDA-8104633034-1 CIF No. A/C No. 3037130827	70000	31.10.14 से 31.10.17	8.75%	90755

इन राशियों पर अर्जित ब्याज को परिपक्व तिथि को रोकड़ बही में लेखाकिंत करना सुनिश्चित किया जाए और आगामी अंकेक्षण के समय परिपक्व राशि का सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

2 उक्त के अतिरिक्त नगर परिषद द्वारा सरकार से प्राप्त अनुदानों को अलग से एसबीआई ठियोग में चालू खाते को Sweep एकाउन्ट से जोड़कर खाते में जमा ₹25042454 से ₹25031659.50 को बैंक द्वारा सावधि योजना के अन्तर्गत जमा किया है जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सरकार से प्राप्त अनुदानों को सावधि में निवेश नहीं कर सकते तथा इन अनुदानों को देय अवधि में उन्हीं उद्देश्यों पर खर्च किया जाना अपेक्षित था जिन उद्देश्यो के लिये अनुदान प्राप्त हुआ।

6 दिनांक 31.3.2017 को प्रतिभूति की शेष ₹11.98 लाख को परिषद लेखा में न दर्शानाः–

प्रतिभूति राशि का लेखा पृथक रोकड़ बही तैयार करके अलग से रखा गया था। उक्त लेखा की जाँच करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2017 को इस खाते में ₹1198004.74 शेष थे जिसका वर्षवार विवरण निम्न प्रकार से हैः–

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	प्राप्तियाँ	कुल	व्यय	अन्तशेष
2015–16	2324072.74	558375	2882447.74	1545470	1336977.74
2016–17	1336977.74	1886208	3223185.74	2025181	1198004.74

बैंकों में अन्तशेष का विवरणः–

खाता सं0	बैंक का नाम	दिनांक	अन्तशेष
44410104496	हि0प्र0 स्टेट को–ओपरेटिव बैंक, ठियोग	31.3.17	708704.74
	सावधि योजना में बकाया राशियों का ब्यौरा	31.3.2017	
1806294	हि0प्र0 स्टेट को–ओपरेटिव बैंक, ठियोग	11.4.2018	259300
1289690	हि0प्र0 स्टेट को–ओपरेटिव बैंक, ठियोग	17.6.2017	230000
	31.3.2017 तक अन्तशेष		**1198004.74**

इसके अतिरिक्त जाँच करने पर पाया गया कि परिषद द्वारा प्रतिभूति लेखा रजिस्टर (फार्म जी–25) तैयार नहीं किया गया था। इस विषय में गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के पैरों में बार–बार आपत्ति उठाई गई थी। यह मामला परिषद के उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

7 अनुदानः–

दिनांक 31.3.2017 तक अनुदान ₹275.84 लाख व्यय हेतु शेषः–

नगर परिषद ठियोग द्वारा अंकेक्षण अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 के दौरान प्राप्त/व्यय तथा 31.3.2017 तक शेष अनुदानों का शीर्षवार विवरण **"परिशिष्ट–ग एक से ग–तीन"** पर दर्शाया गया है। 31.3.2017 तक विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत व्यय हेतु शेष बचे अनुदानों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	अनुदान का नाम	31.3.17 तक बकाया राशि का ₹ में ब्यौरा
1	$3^{rd}/4^{th}$ SFC	3072748
2	13^{th} Finance Commission	1333795
3	Grant for C/O Parks	5120000
4	Grant for construction of stage and ground	2800000

5	Grant for Construction of Parking	3600000
6	MP LAD Fund	356176
7	Misc Grant/MO ULB road	942111.78
8	Grant/Amt received on A/C of compensation form the I.P.H. Deptt.	240188
9	Sewerage Scheeme	10000000
10	Funds for hand pump repair	1200
11	SBM	118080
	कुल बकाया	**27584298.78**

वर्ष 2015–16 तथा 2016–17 की अनुदान विवरणिका के अवलोकन करने पर पाया गया कि वर्ष 2015–16 में नगर परिषद को ₹90.59 लाख तथा वर्ष 2016–17 में ₹256.44 लाख अनुदान के रूप में प्राप्त हुये, जिसमें से नगर परिषद ने वर्ष 2015–16 में केवल ₹82. 82 लाख तथा वर्ष 2016–17 में ₹110.28 लाख विभिन्न प्रयोजनों पर खर्च किये। जिसके फलस्वरूप दिनांक 31.3.2017 तक अनुदान ₹275.84 लाख व्यय हेतु शेष थी।

अतः अनुदान की शेष राशि को सक्षम अधिकारी को स्वीकृति से विशेष उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा शेष राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित विभाग को किया जाए।

8 डी0ए0वी0 स्कूल के पास कार पार्किंग व सामुदायिक हाल के निर्माण कार्य पर ₹56.82 लाख का निष्फल/अनुचित व्ययः–

नगर परिषद ठियोग द्वारा डी0ए0वी0 स्कूल के पास कार पार्किंग, कारपेटिंग तथा कम्यूनिटी हाल के निर्माण को प्रस्ताव संख्या 28/2012 दिनांक 20.5.2012 को स्वीकृत किया गया। उक्त प्रस्ताव के अन्तर्गत इस कार्य के अनुमान ₹4951707 की तकनीकी स्वीकृति अधिशासी अभियन्ता एच0पी0एस0आई0डी0सी0 LTD शिमला द्वारा प्राप्त की गई। तदोपरान्त सारी औपचारिकताएं पूर्ण करके उक्त निर्माण कार्य श्री रमेश हेटा संविदाकार को पत्र संख्या MCT/works/2013/17 दिनांक 5.4.2013 द्वारा ₹4171187 के लिए आबंटित कर दिया आबंटन पत्र के अनुसार यह कार्य छह महिनों में पूरा किया जाना था।

अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त निर्माण कार्य माप पुस्तिका संख्या 61 पेज 17 से 25 के अनुसार दिनांक 5.6.2015 को पूर्ण कर दिया गया था तथा इस निर्माण कार्य पर ₹5682247 खर्च किये गये परन्तु निर्माण की गई पार्किंग अभी तक प्रयोग में नहीं लाई गई (अंकेक्षण समाप्त होने तक) जिसके फलस्वरूप नगर परिषद को इस पार्किंग से जो अभी तक आय प्राप्त होनी थी उसका नुकसान परिषद को वहन करना पड़ रहा है। अतः पार्किंग का निर्माण कार्य पूर्ण होने के फलस्वरूप भी नगर परिषद द्वारा पार्किंग को इस्तेमाल न करने के बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस मामले को नगर परिषद के विशेष ध्यानार्थ लाया जाता है और साथ में सुझाव भी दिया जाता है कि इस पार्किंग को जनता के लिये शीघ्र उपयोग में लाये जाने बारे अविलम्ब उचित कार्यवाही करें ताकि इससे परिषद को आय प्राप्त हो सके और नगर परिषद की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो सके।

9 4th State Finance Commission के अनुदान ₹5.50 लाख का पैन्शन एवं ग्रेच्युटी फण्ड के लिए अनियमित स्थानान्तरित करनाः–

4th State Finance Commission की शर्तों के अनुसार स्वीकृत अनुदान राशि को शहर की सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाईट, उप प्रधान तथा सदस्यों के मानदेय भुगतान, कर्मचारियों के कुल प्रतिशतता के वेतन का भुगतान तथा Assests Creation आदि पर व्यय किया जा सकता था।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2015–16 व 2016–17 में 4th State Finance Commission से प्राप्त अनुदान से ₹550000 का भुगतान पैन्शन एवं ग्रेच्युटी फण्ड में किया जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

वा0सं0	दिनांक	राशि ₹ में
104	3.6.15	200000
699	23.3.16	150000
204	1.7.16	200000
		550000

अतः 4th SFC के अनुदान से ₹5.50 लाख का स्थानान्तरण Pension & GRaduity Fund में करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा अनियमित भुगतान की भरपाई नगर परिषद उचित स्त्रोत से करके 4th SFC अनुदान में जमा करें और अनुदान को उसी उद्देश्य के लिए

खर्च करें, जिस उद्देश्य हेतु प्राप्त हुआ है। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10 स्थापना पर ₹40.27 लाख का अनियमित व्ययः–

हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल एक्ट 1994 के नियम 53 (1) (ब) में दिए प्रावधान के अनुसार व निदेशक, हिमाचल प्रदेश शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या ULB-H(A) 1/87-9237-84 दिनांक 20.6.2001 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार प्रत्येक स्थानीय निकाए वर्ष के दौरान किए गए कुल व्यय का एक तिहाई भाग ही संस्थापना पर व्यय कर सकती है।

नगर परिषद के अभिलेखों की जाँच व उपलबध करवाई गई सूचना के अनुसार वर्ष 2015–16 में कुल व्यय ₹16296990.36 था और इस व्यय में स्थापना पर ₹8495228 का व्यय किया, जबकि उपरोक्त नियम व निर्देशों के अनुसार संस्थापना पर ₹543233012 व्यय किया जाना था। इस प्रकार नगर परिषद द्वारा संस्थापना ₹3062897.88 का अनियमित व्यय किया गया, जिसकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जानी सुनिश्चित की जाये। इसी तरह वर्ष 2016–17 में कुल व्यय ₹20872393.23 था और इस व्यय में स्थापना में ₹7921948 व्यय किया जबकि उपरोक्त नियम व निर्देशों के अनुसार संस्थापना पर ₹6957464.41 व्यय किया जाना था। इस प्रकार नगर परिषद द्वारा वर्ष 2016–17 के दौरान संस्थापना पर ₹964483.59 का अनियमित व्यय किया गया। इस प्रकार वर्ष 2015–16 व 2016–17 में स्थापना पर कुल व्यय के एक तिहाई भाग से ₹4027381.47 का अधिक व्यय किया गया जिसकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जानी सुनिश्चित की जाये।

11 दिनांक 31.3.2017 तक गृहकर की ₹77.55 लाख वसूली हेतु शेषः–

नगर परिषद में गृहकर रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों व अंकेक्षण को दी गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2017 तक गृह कर की **परिशिष्ट "घ"** के अनुसार ₹7754918 वसूली हेतु शेष थी। जिसका वर्षवार ब्यौरा निम्न प्रकार से था।

वर्ष	पिछली बकाया राशि में	वर्ष में मांग में	कुल मांग (₹ में)	वसूली/प्राप्ति (₹ में)	शेष/बकाया (₹)
2015–16	8374068	13746501	9748718	1424488	8324230
2016–17	8324230	2085861.50	10410091.50	2655173.50	7754918

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट पता चलता है कि नगर परिषद द्वारा गृहकर की वसूली हेतु कोई ठोस प्रयास नहीं किये गये थे। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 4 दिनांक 17.7.17 द्वारा गृहकर की वसूली न करने बारे स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था परन्तु अंकेक्षण को दिये गये उत्तर में अवगत करवाया गया कि गृह कर की बकाया वसूली के लिये गृहकर दाताओं के विरूद्ध न्यायालय में केस दायर किये गये है तथा समय–2 पर गृहकरदाताओं को नोटिस भी जारी किये जा रहे है। अतः नगर परिषद को सुझाव दिया जाता है कि गृहकर की वसूली हेतु शीघ्र उचित कार्यवाही करें तथा अनुपालना सें आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 दिनांक 31.3.2017 तक दुकानों के किराया ₹30.42 लाख वसूली हेतु शेषः–

अवधि 1.4.15 से 31.3.2017 तक के किराये से सम्बन्धित मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2017 तक **परिशिष्ट "च"** के अनुसार दुकानों के किराया ₹3042408 वसूली हेतु शेष थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान किराये की मांग	कुल किराये की मांग	प्राप्ति	अग्रिम प्राप्ति	वर्ष के अन्त में बकाया किराया
2015–16	2867803	1096642	3964445	1050392	0	2914053
2016–17	2914053	1100230	4014283	971875	523	3042408

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 3 दिनांक 2.7.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी को किराए की वसूली हेतु की कार्यवाही से अवगत करवाने हेतु अनुरोध किया गया। परन्तु अंकेक्षण को दिये गये उत्तर में अवगत करवाया गया कि किराये की बकाया वसूली के लिये किरायेदारों के विरूद्ध न्यायालय में केस दायर किये गये है तथा समय–2 पर डिफाल्टर किरायेदारों को नोटिस भी जारी किये जा रहे है। अतः नगर परिषद को सुझाव दिया जाता है कि दुकानों के किराये की वसूली हेतु शीघ्र उचित कार्यवाही करें तथा अनुपालना सें आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाया जाए।

13 व्यवसायिक परिसर नजदीक बस स्टैंड की दुकानों की लीज ₹25.26 लाख की वसूली न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा बस स्टैंड ठियोग के व्यवसायिक परिसर में निर्मित दुकानों को लीज अनुबन्ध वार्षिक किराये पर किराएदारों को आबंटित किया

गया है। वर्ष 12/2016 तक इन दुकानदारों से **परिशिष्ट "ङ"** के अनुसार ₹2526068 लाख वसूली हेतु शेष थे जिसका विवरण निम्न प्रकार से थाः–

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	मांग	कुल	वसूली	अन्तशेष
2015	1052938	1406037	2458975	563092	1895883
2016	1895883	1406037	3301920	775852	2526068

अतः नगर परिषद के स्वामित्व वाली दुकानों के आबंटियों से वर्ष 2015 में ₹2458975 वसूल योग्य किराया था और नगर परिषद ने केवल 563092 (23%) ही वसूल किए तथा वर्ष 2016 में कुल किराये ₹3301920 में से 775852 (23%) ही वसूल किए जिससे यह स्पष्ट है कि नगर परिषद दुकानों के पटटाधारियों से किराये की वसूली पटटे में दी गई शर्तों तथा नगरपालिका अधिनियम में दी गई धाराओं के अन्तर्गत करने में विफल रहा। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 2 दिनांक 2.7.2017 द्वारा कार्यकारी अधिकारी को लीज की वसूली न करने बारे स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था। परन्तु अंकेक्षण को दिये गये उत्तर में अवगत करवाया गया कि लीजमनी की बकाया वसूली के लिये लीज होल्डरों के विरूद्ध न्यायालय में केस दायर किये गये है तथा समय–2 पर डिफाल्टर लीज होल्डरों को नोटिस भी जारी किये जा रहे है। अतः कार्यकारी अधिकारी को सुझाव दिया जाता है कि पटटेधारियों पर नगरपालिका अधिनियम 1994 की धारा 258 (1) (ख) (2) के अनुसार कार्रवाई करते हुए बकाया लीजमनी की वसूली शीघ्र करना सुनिश्चित करें तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14 पट्टा ₹0.42 लाख की वसूली न करनाः–

नगर परिषद ठियोग ने कई वर्ष पहले अपनी भूमि को पट्टेधारियों को पट्टे पर दिया गया जिसकी वसूली पट्टेधारियों से पट्टे की शर्तों के अन्तर्गत की जानी अपेक्षित थी, जबकि वर्ष 2016–17 तक पट्टेधारियों से **परिशिष्ट "छ"** के अनुसार पट्टे की बकाया ₹41716 वसूल की जानी शेष थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	मांग	कुल	वसूल	अग्रिम वसूली	बकाया
2015–16	41226	31271	72497	30158	138	42202
2016–17	42202	270437	312639	270923	0	41716

उपरोक्त विवरणिका के अवलोकन पर पाया गया कि नगर परिषद केवल वर्ष के दौरान पट्टे राशि की मांग के लगभग वसूली कर रहा है और बकाया पट्टे की राशि की

वसूली के लिए पट्टेधारियों के विरूद्ध कोई भी कारगर कार्रवाई नहीं कर रहा। अतः नगर परिषद द्वारा उपरोक्त पट्टे की बकाया ₹41716 की वसूली हेतु नियमानुसार ठोस कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा बकाया ₹41716 की वसूली शीघ्रातिशीघ्र करने के उपरान्त इसे परिषद निधि में जमा करवाये तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15 मोबाईल कम्पनियों से टावरों की नवीनीकरण शुल्क की ₹0.19 लाख की वसूली न करनाः–

सरकार के आदेश संख्या डी0आई0टी0 (आई0टी0) 2005 (मिसलिनियस) 2310 दिनांक 28.8.2006 के अन्तर्गत नगर परिषद सीमा के अन्दर मोबाईल कम्पनियों से इन्सटालेशन चार्जिज ₹10000 प्रति टावर तथा वार्षिक नवीनीकरण शुल्क ₹5000 प्रति टावर की दर से वसूली तथा 5 वर्ष के पश्चात नवीनीकरण शुल्क में 25% की दर से वृद्धि का प्रावधान है।

अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि नगर परिषद सीमा के अन्दर Airtel, Tata, Reliance तथा Vodafone Communication कम्पनियों द्वारा मोबाईल टावर स्थापित किये गये है। नियमानुसार सम्बन्धित कम्पनियों से Installation चार्जिज तथा नवीनीकरण शुल्क की वसूली की जानी थी। उक्त कुछ एक कम्पनियों में से अवधि 31.3.2017 तक ₹18750 की नवीनीकरण शुल्क की वसूली नही की गई, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

कम्पनी का नाम	अवधि जब से वसूली नहीं की	राशि बकाया में
भारती ऐयरटेल लि0	2016–17 (एक वर्ष)	6250
रिलायंस लि0	2016–17 (एक वर्ष)	6250
टाटा टावर	2016–17 (एक वर्ष)	6250
	कुल वसूली योग्य राशि	**18750**

नगर परिषद द्वारा उक्त नवीनीकरण शुल्क ₹18750 की वसूली न करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 10 दिनांक 17.7.17 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था। परन्तु अंकेक्षण को दिये गये उत्तर में अवगत करवाया गया कि टावर नवीनीकरण शुल्क की बकाया वसूली के लिये टावर मालिकों को नाटिस भी जारी किये जा रहे है। अतः कार्यकारी अधिकारी को सुझाव दिया जाता है कि टावर मालिकों से नियमानुसार बकाया टावर नवीनीकरण शुल्क की वसूली शीघ्र करना सुनिश्चित करें तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

16 कर्मचारियों को आबंटित रिहायशी आवासों की लाईसैन्स फीस की वसूली सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर न करने के कारण ₹420 का अधिक भुगतानः–

हिमाचल प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (General Administration Department) के कार्यालय ज्ञापन संख्या GAD-D-3©-14-3/07 दिनांक 2.9.2010 के द्वारा सभी वर्गों के सरकारी आवासों की लाईसैन्स फीस को संशोधित कर दोगुणा कर दिया गया तथा माह 10/2010 से सभी कर्मचारियों जिन्हें सरकारी आवास आबंटित थे के वेतन से सरकारी आवासों की लाईसैन्स फीस की वसूली संशोधित दरो ंपर की जानी अपेक्षित थी, जबकि नगर परिषद द्वारा जिन कर्मचारियों को परिषद आवास आबंटित थे से संशोधित दरों पर लाईसैन्स फीस की वेतन से कटौती/वसूली नहीं की थी। इस विषय पर गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 20 में आपत्ति उठाई गई थी जिस पर परिषद द्वारा कार्यवाही करते हुए निम्न कर्मचारियों के अतिरिक्त समस्त कर्मचारियों से वसूली कर ली गई थी।

क्र0सं0	नाम	अवधि	संशोधित दर	जिस दर से कटौती की	कम वसूली	माह	कुल राशि
1	श्री विनोद पाल कनिष्ट अभियन्ता	9/13 से 3/15	228	214	14	19	266
2	श्री विजय डोगरा कनिष्ठ अभियन्ता	6/15 से 4/16	228	214	14	11	154
							420

अतः इन कर्मचारियों से लाईसैन्स फीस की वसूली न करने के बारे में स्थिति स्पष्ट करें। ₹420 की वसूली उचित माध्यम से शीघ्र करके आगामी अंकेक्षण में दिखायी जानी सुनिश्चित की जाये।

17 निर्माणः–

C/O Parking and community hall near DAV School ward No. 7 Theog Distt Shimla (SH: C/O Parking in ground and 1st floor only)

ठेकेदार का नामः– श्री रमेश हैटा

अनुबन्ध/आबंटन संख्याः– एन0सी0टी0/वर्कस/2013–14 दिनांक 5.4.13

बिल संख्याः– चौथा एवं अन्तिम बिल

माप पुस्तिका संख्याः– 61 पृष्ठ 17 से 25

वाउचर संख्याः– 415 माह 10/16

गलत गणना के फलस्वरूप संविदाकारों को ₹0.19 लाख अधिक भुगतानः–

उक्त कार्य की माप पुस्तिका पृष्ट 24 की जाँच के दौरान पाया गया कि मद "Providing mild steel/tor steel reinforcement for coloumn from 1st floor to 2nd floor के मद में 3rd running bill के Balance steel का भुगतान चौथे एवं अन्तिम बिल में किया गया माप पुस्तिका के अनुसार 8mm स्टील मद का 522 RMT का भुगतान किया गया है जबकि स्टील का भुगतान प्रति किलो की दर से किया गया जाना चाहिए था इस प्रकार 203.58 कि0ग्रा0 (522x0.39 कि0ग्रा0 per RM) का भुगतान किया जाना अपेक्षित था अनुबन्ध के अनुसार ₹60 per Kg से भुगतान किया जाना था जबकि नगर परिषद ने इस बिल में संविदाकार को सीधे 522 rmtr को ₹60 प्रति कि0ग्राम0 से दर लगाकर ₹31320 जो भुगतान किया गया जिसके फलस्वरूप ₹19105.20 का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

माप पुस्तिका संख्या 60 पृष्ठ 12 में 8mm for steel की गणना की प्रविष्टि

Striuppls:-

8mm A3 to A5, B3 to B5, C3 to C5 and D3 to D5	8x46x1.45=533.60rmt
जितने का भुगतान तृतीय बिल में किया	11.60 rmt
बकाया	522 Rmt
पृष्ठ 24 में चौथे बिल में जो भुगतान किया	522x60=31320
नियमानुसार जितना भुगतान किया जाना था	522 rmtx0.39=203.58 Kgx60=12214.80
अधिक भुगतान	₹19105.20

अतः अधिक किये भुगतान करने से सम्बन्धित अंकेक्षण अधियाचना संख्या 5 दिनांक 19.7.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी को स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था जिसके सन्दर्भ में कार्यकारी अधिकारी द्वारा सूचित किया गया कि गलती से किये अधिक भुगतान ₹19105 की वसूली ठेकेदार से शीघ्र कर आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखा दी जायेगी।

(2) इस निर्माण कार्य की माप पुस्तिका संख्या 60 पृष्ठ 13 के मद 12/6 “Providing mild/tor steel for coloumn first floor to 2nd floor में जो tor steel से सम्बन्धित गणना की प्रविष्टियाँ की है उसमें 20mm के स्टील जो Coloumn में दर्शाया गया है उसमें 5x8x1=40 rmt तथा 10x12x1=120 rmt की प्रविष्टियाँ बाद में की गई प्रतीत होती है क्योंकि M.B. में जो अन्य प्रविष्टियाँ की गई उसकी स्थाई तथा उक्त में वर्णित प्रविष्टियों में उपयोग किये पैन की स्याही में अन्तर था तथा इसका भुगतान ₹23712 (120+40=160rmtx2.47=395.201 Kgx60 per Kg) को चौथे एवं अन्तिम बिल में किया

जबकि अन्य स्टील व अन्य मदों का भुगतान तृतीय बिल में संविदाकार को किया और इसका भुगतान भी तृतीय बिल के साथ ही किया जाना अपेक्षित था जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि तकनीकी स्टॉफ (कनिष्ठ अभियन्ता) द्वारा ₹23712 की प्रविष्टि को बाद में कर संविदाकार अनुचित लाभ दिया जिसे बारे स्थिति स्पष्ट की जाए और इस मामले में अपने स्तर पर छानबीन कर सत्यता का पता लगाये यदि संविदाकार को अनुचित लाभ दिया गया है तो इस ₹23712 की वसूली उत्तरदायी से कर नगर परिषद निधि में जमा की जाये और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाया जाये

18 बिजली के बिलों के भुगतान में सन्ड्री चार्जिज (Sundry Charges) ₹0.10 लाख के भुगतान बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत में वाउचर संख्या 318 माह 8/15 के द्वारा ₹38891 के बिजली के बिलों का भुगतान विद्युत विभाग ठियोग को किया बिजली के बिलों की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि विद्युत बोर्ड ने कुछ एक बिजली के बिलों में Sundry Charges लगाये थे और नगर परिषद ने बिना जाँच पड़ताल के Sundry Charges सहित बिजली के बिलों का भुगतान बोर्ड को कर दिया जिसके फलस्वरूप ₹10450 Sundry Charges के रूप में भुगतान किया जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

खाता सं0	बिल नं0	कुल भुगतान की राशि	जितने के सनड्राई चार्जिज दर्शाये
PPL-1	00940842	3799	1650
PPL-3	00940845	2603	1100
PPL-5	00940848	8789	7700
PPL-2	00940844	1219	–
PPL-4	00940846	2692	–
PPL-5	00940849	5071	–
JPL-1	00940841	4809	–
JPL-2	00940852	2733	–
PPL-10	00940850	1568	–
PPL-11	00940851	730	–
SPL-1	00940843	4878	–
		38891	**10450**

अतः हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड ठियोग ने बिजली के बिलों में Sundry Charges किस उद्देश्य के अन्तर्गत लगाये अभिलेखों/वाउचरों में स्पष्ट नहीं था तथा नगर परिषद द्वारा बिना स्पष्टीकरण प्राप्त किये बिजली के बिलों के भुगतान के साथ Sundry Charges ₹10450 का भुगतान किया गया जोकि अनियमित था। उक्त Sundry Charges के अन्तर्गत भुगतान ₹10450 की पुष्टि विद्युत बोर्ड ठियोग से करके आगामी अंकेक्षण में दिखाई जानी सुनिश्चित की जाये।

19 वाउचर संख्या 309 माह 8/15 ₹52910

नगर परिषद ने उक्त भुगतान मैसर्ज सीटी सैल्स, दी रिज शिमला को 15 व 16 तारीख को ठियोग में स्थानीय मेला के खेल प्रतियोगिता में जीतने वाली टीमों तथा मुख्य अतिथियों के सम्मान में दिए जाने वाले मोमेन्टों (स्मृति चिन्ह) की खरीद की एवज में किया। इस खरीद से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गईः–

1 इस खरीद से पूर्व नगर परिषद द्वारा कोई भी अनुमान पत्र तैयार नहीं किया गया था जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि स्थानीय में खेल प्रतियोगिता मेले के दौरान कितने मोमैन्टो किस प्रकार से चाहिए थे।

2 उक्त भुगतान वाउचर में संलग्न बिल की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि इस खरीद में एक ही प्रकार की सामग्री को अलग–2 से बिल में दिखा कर क्रय कमेटी द्वारा बिना जाँच किये बिल का भुगतान फर्म को किया गया जोकि अनियमित प्रतीत होता है। अतः फर्म द्वारा बिल में एक ही प्रकार की मदों को अलग–2 दिखाकर खरीद करने बारे तथा इसका भुगतान करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

फर्म का नामः– मैसर्ज सीटी सैल्स शिमला बिल संख्या 7953 दिनांक 13.8.15

बिल में क्र0सं0	**मद का ब्यौरा**	**मद की सं0**	**दर ₹ में**	**राशि ₹ में**	**वैट %**	**कुल भुगतान**
6 पुनः से क्रम संख्या 10 में दर्शाया	913 Small	1	450	450	5%	472.50
	913 Small	1	450	450	5%	472.50
2 पुनः से क्रम संख्या 11 पर दर्शाया	Momento T	30	360	10800	5%	11340
	130 B T	1	360	360	5%	378
	130 B					

3 पुनः से क्रय	Momento T	30	330	9900	5%	10395
क्रम संख्या 12 में दर्शाया	130 M T 130 M	1	330	330	5%	346.50

उक्त के अतिरिक्त बिल के क्रम संख्या 14, 15, 16 व 19 में केवल मोमेन्टो दर्शाया गया था और जिसका भुगतान किया गया

क्र0सं0 14	मोमेन्टो	5	200	1000	5%	1050
15	मोमेन्टो	1	360	360	5%	378
16	मोमेन्टो	1	300	300	5%	315
19	मोमेन्टो	1	330	330	5%	346.50

अतः बिल में एक ही प्रकार की सामग्री को अलग–2 दर्शाकर तथा कुछ एक सामग्री का विवरण पूर्ण रूप से बिल में न दर्शाकर क्रय कमेटी द्वारा फर्म को बिल का बिना जाँच के भुगतान करना फर्म को अनियमित एवं अनुचित लाभ देना प्रतीत होता है जिसकी जाँच नगर परिषद अपने स्तर पर कर सत्यता से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाये।

3 हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली 2009 के अध्याय–XI 11.6 में स्पष्ट दिया है कि किसी भी प्रकार की सामग्री की खरीद व खपत की प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में की जानी अनिवार्य है ताकि उस सामग्री की खप्त व बकाया का स्पष्ट विवरण विभाग के पास उपलब्ध रहे। जबकि नगर परिषद ठियोग ने उक्त वर्णित सामग्री की खरीद स्टॉक रजिस्टर में न कर इसका वितरण मेले के दौरान सीधा कर दिया जोकि नियमों की सरासर अवहेलना थी। अतः अंकेक्षण के दौरान यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि नगर परिषद ने मेले के दौरान जो मोमेन्टो आदि की खरीद की थी उसका वितरण मेले के दौरान पूर्ण रूप से कर दिया क्योंकि ऐसा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः बिना स्टॉक रजिस्टर में खरीद व खपत का लेखा तैयार न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा नगर परिषद यह विवरण तैयार कर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करें कि मौमेन्टो का वितरण कितने मुख्य अतिथियों तथा जीतने वाली टीमों को किया गया और कितने मौमेन्टो बकाया में थे। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

20 वाउचर संख्या 296 माह 8/15 ₹10000:–

नगर परिषद द्वारा City Primer Networks ठियोग को दिनांक 15.8.15 से 18.8.15 को स्थानीय महोत्सव के प्रोंग्रामों के सीधे प्रसारण हेतु ₹10000 का भुगतान किया गया था।

नगर परिषद द्वारा सीटी प्राईम नेटवर्कस को भुगतान केवल सादे कागज के बिल पर ही किया गया जबकि नियमानुसार फर्म को नियमित बिल के आधार पर ही भुगतान किया जाना था। ताकि इस भुगतान में जो सरकार को वैट तथा सेवाकर के रूप में फर्म द्वारा भुगतान करना था वे किया जा सकता ताकि सरकार को टैक्स के रूप में प्राप्त होने वाली आय की हानि न होती। अतः इस प्रकार फर्म को साधारण कागज पर बिल के आधार पर भुगतान करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इसके साथ–2 फर्म से सुनिश्चित करें कि क्या फर्म द्वारा सेवाकर व वैट को सरकारी खजाने में जमा करवाया गया है अथवा नहीं? यदि नही ंतो नगर परिषद इस पर नियमानुसार उचित अपेक्षित कार्यवाही करें तथा आगामी अंकेक्षण में वस्तुस्थिति से अवगत करवाये तथा भविष्य में इस प्रकार के भुगतानों को न किये जाने हेतु उचित पग उठाये जाये।

21 वाउचर संख्या 287 माह 8/15 ₹51000

वउचर संख्या 28 माह 8/15 ₹192600

वाउचर संख्या 289 माह 8/15 ₹53900

उक्त वाउचरों द्वारा नगर परिषद ठियोग ने 15 व 16 अगस्त को स्थानीय महोत्सव में भाग लेने वाले कलाकारों, संस्थाओं, स्कूली बच्चों तथा खेल प्रतियोगिता में जीतने वाली टीमों आदि को भुगतान किया गया इन भुगतान वाउचरों से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच पड़ताल पर पाया गया कि भुगतान से सम्बन्धित रसीदों को कार्यकारी अधिकारी/अध्यक्ष कमेटी, स्थानीय मेला कमेटी से प्रतिहस्ताक्षर नहीं करवाया गया था जबकि इन रसीदों को Countersigned For करके अन्य कर्मचारी द्वारा किया गया था जो अनियमित था जबकि इन रसीदों को सत्यापित/Countersigned मेला कमेटी के सक्षम अधिकारी द्वारा करवाया जाना अपेक्षित था। अतः किए गये भुगतान के अन्तर्गत प्राप्त रसीदों को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित/ Countersigned न करवाने के फलस्वरूप यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि जो भुगतान किया गया वे उस व्यक्ति/संस्था को किया गया जिसके द्वारा स्थानीय महोत्सव में भाग लिया। अतः इन रसीदों को सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर करवाकर आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

2 इसके अतिरिक्त अभिलेख में जो रसीदें संलग्न थी उसमें अधिकतर रसीदों को पूरी तरह भरा नहीं गया था जिसके अभाव के कारण रसीदों की सत्यता में संशय पैदा हो रहा है। अतः सक्षम अधिकारी इन रसीदों की जाँच अपने स्तर पर कर इन रसीदों को पूरा भरवाये और पूर्ण कार्यवाही उपरान्त रसीदों को आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत करें।

22 वाउचर संख्या 300 एवं 301 माह 8/15 ₹9300

उक्त भुगतान Bhuttico weavers co-op Socity Ltd Shimla को CM No. 85450 दिनांक 14.8.15 तथा CM No. 85472 दिनांक 15.8.15 के एवज में शाल, टोपी, लोई आदि की खरीद के लिए किया जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

कैश मैमों सं0 /दिनांक	सामग्री का ब्यौरा	मद	दर	राशि ₹ में
85450/14.8.15	शाल	1 नं0	1500	1500
	टोपी	20 नं0	300	6000
				7500
85472/15.8.15	लोई	1 नं0	1500	1500
	टोपी	1 नं0	350	350
				1800

यद्यपि यह भुगतान उक्त सामग्री की खरीद के लिये किया तथा इस का वितरण स्थानीय महोत्सव में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को किया गया तब भी इसमें नियमानुसार निम्नलिखित कमियाँ पाई गईः–

(1) नियमानुसार यदि विभाग किसी भी प्रकार की सामग्री की खरीद करता है उसकी प्रविष्टि सबसे पहले स्टॉक रजिस्टर में की जानी अपेक्षित होती है जबकि नगर परिषद द्वारा उक्त वर्णित खरीद सामग्री की स्टॉक प्रविष्टि न कर इसका वितरण सीधे कर दिया जो अनियमित था । अतः बिना स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि कर सामग्री के वितरण बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस सामग्री की स्टॉक प्रविष्टि अब करके आगामी अंकेक्षण में दिखाई जानी सुनिश्चित की जाये।

2 उक्त सामग्री का आंबटन स्थानीय महोत्सव के दौरान किन–2 गणमान्य व्यक्तियों को किया गया कोई भी विवरण वाउचर के साथ संलग्न नहीं था।

3 इसके व्यय को केवल नगर परिषद द्वारा पारित किया था जबकि इस व्यय को मेला समिति से पारित करवाया जाना अपेक्षित था जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये और इस व्यय को मेला कमेटी से पारित करवाया जाये।

23 श्रेणी–4 के कर्मचारियों को 20 वर्ष की सेवा अवधि के उपरान्त अतिरिक्त वेतन वृद्धि का गलत लाभ प्रदान करने के कारण लगभग ₹1.93 लाख का अनियमित भुगतानः–

नगर परिषद के कर्मचारियों की सेवा पंजिका में वेतन निर्धारण एवं वेतन वृद्धियों से सम्बन्धित जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि श्रेणी–4 के कर्मचारियों जोकि श्रेणी–3 के वेतनमान में वेतन आहरण कर रहे थे को 20 वर्ष की सेवा अवधि के उपरान्त एक अतिरिक्त

वेतवृद्धि का लाभ प्रदान किया गया था, जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित था, क्योंकि वित्त (विनियम) विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या–Fin © b(7)-3/2012 दिनांक 15.12.12 द्वारा जारी अनुदेश/स्पष्टीकरण अनुसार उक्त लाभ तभी देय होगा यदि सम्बन्धित कर्मचारी देयता तिथि को श्रेणी–4 के वेतमान में ही वेतन का आरहण कर रहा हो जबकि यह कर्मचारी–3 के वेतमान में वेतन आहरित कर रहे थे। इस प्रकार इस अनियमितता के कारण श्रेणी–4 के कर्मचारियों सर्व श्री मुखतार सिंह, सेवा राम, हरदेव सिंह व रविन्द्र सिंह को जोकि श्रेणी–3 में वेतन का आहरण कर रहे थे संलग्न **परिशिष्ट"ज" 1 से 4** के अनुसार लगभग ₹192717 का अनियमित भुगतान किया गया जिसकी पूर्ण गणना नगर परिषद एक बार अपने स्तर पर वेतन निर्धारण संशोधन के उपरान्त करके सम्बन्धित कर्मचारियों को किये अनियमित भुगतान की वसूली सुनिश्चित करें इस सन्दर्भ में नगर परिषद को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 12 दिनांक 17.7.17 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा था जिस सन्दर्भ में नगर परिषद ने अवगत करवाया कि सेवा पुस्तिका में इन कर्मचारियों के वेतन का पुनः निर्धारण कर दिया गया है तथा पुनः निर्धारण के कारण जो भी रिकवरी सम्बन्धित कर्मचारियों से बनती है उसकी रिकवरी कर आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जायेगा।

24 वाहन संख्या एच0पी0–09 सी–3213 ट्रक की लॉग बुक में की प्रविष्टियों में पाई कमियों बारेः–

नगर परिषद ठियोग के लेखों के अंकेक्षण के दौरान वाहन संख्या एच0पी0–09 सी–3213 ट्रक की लॉग बुक में ईंधन डलवाने सम्बन्धित प्रविष्टियों की जाँच करने पर पाया गया कि वाहन की लॉग बुक को Repair of maintenance of H.P. State Govt. Vechile में दिये निर्देशानुसार रख रखाव नहीं किया जा रहा था। वाहन की लॉग बुक न तो ईंधन खपत से सम्बन्धित और न ही वाहन की टैंकी में ईंधन की क्षमता (capacity) आदि का प्रमाण पत्र नहीं दिया जिसके फलस्वरूप वाहन में ईंधन की जो खपत दर्शाई गई थी उसकी जाँच नहीं की जा सकी। वाहन चालक द्वारा ईंधन की खपत 1 लीटर में तीन कि0मी0 की दर से दर्शायी जा दर्शाया रही है। जोकि बहुत कम प्रतीत होती है। अतः कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद ईंधन की खपत से सम्बन्धित कमेटी बनाकर ईंधन की खपत का सही अनुमान लगाये और उसी आधार पर वाहन की लॉग बुक में प्रमाण पत्र दे यदि वाहन में ईंधन की खपत कम आती है तो उसी आधार पर डीजल की अधिक खपत की गणना कर उसकी वसूली वाहन चालक से करके नगर परिषद निधि में जमा करें।

2 वाहन की लॉग बुक में यह भी पाया गया कि वाहन में जो ईंधन डलवाया गया तथा जिसकी प्रविष्टि लॉग बुक में दर्ज थी। वह वाहन चालक द्वारा अपने स्तर पर डलवाया गया था। जबकि नियमानुसार वाहन में ईंधन को डलवानें हेतु कार्यकारी अधिकारी द्वारा जारी Requestion अनिवार्य थी ताकि वाहन में तेल आदि को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी Requestion के आधार पर डलवाया जाये। जबकि नगर परिषद द्वारा ऐसा कोई भी अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे ऐसा प्रतीत होता है इस प्रकार के अभिलेख का रख रखाव नहीं किया गया था इस बारे गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी आपत्ति उठाई गई थी। जिस बारे नगर परिषद स्थिति स्पष्ट करें और भविष्य में वाहन में ईंधन सक्षम अधिकारी द्वारा जारी Requestion के आधार पर डलवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

3 वाहन की लॉग बुक में जो Coloum दिये गये उसको वाहन चालक द्वारा पूर्ण रूप से नहीं भरा गया था और न ही लॉग बुक को किसी भी सक्षम अधिकारी से दिन प्रतिदिन की प्रविष्टियों को हस्ताक्षरित करवाया गया था जोकि अनियमित था। अतः सुझाव दिया जाता है कि लॉग बुक को नियमानुसार प्रतिदिन नियमानुसार भर कर सक्षम अधिकारी से हस्ताक्षर करवाये जाने सुनिश्चित करें।

25 गृहकर से सम्बन्धित मूल्यांकन सूची (Assesment lists) तथा मूल्यांकन रजिस्टर (Assessment Register) का रख रखाव न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वर्ष 2016–17 के गृहकर से सम्बन्धित मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2015–16 के गृहकर के मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर में जिन गृहकर दाताओं से गृहकर लिया जा रहा था उनके वर्ष 2016–17 के गृहकर मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर में गृहकर के बकाया को बांट कर इसके साथ अन्य नये गृहकर दाताओं के नाम अंकित कर दिया परन्तु नगर परिषद द्वारा गृहकर के बकाया को अन्य गृहकर दाताओं के रजिस्टर में दर्शाकर उनके खातों में बकाया व कर मांग को दर्शाने से सम्बन्धित न तो कोई मूल्यांकन सूची (Assessment list) प्रस्तुत की गई और न ही गृहकर मांग रजिस्टर में कोई टिप्पणी अंकित की गई जिससे यह सुनिश्चित हो सकता कि नगर परिषद द्वारा गृहकर के बकाया व मांग को काटकर Dimle कर नये कर दाताओं के नाम के सामने दर्शाया गया वह ठीक रूप से दर्शाया गया था या नहीं क्योंकि अभिलेखों को पूर्ण रूप से तैयार न करने के फलस्वरूप गृहकर की माँग वर्ष 2016–17 में जाँच नहीं की जा सकी। इसके साथ जिन–2 करदाताओं/भवनों के मालिकों की Ownership को बदल कर गृहकर मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर में दर्शाया गया उससे सम्बन्धित भी नगर परिषद द्वारा कोई

अभिलेख पुष्टि हेतु अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किये नहीं गये। अतः सुझाव दिया गया जाता है कि उक्त में दशाये अभिलेख/सूचनाओं को तैयार कर तथा उसका पूर्ण विवरण/टिप्पणी गृहकर मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर में अंकित कर उसे सक्षम अधिकारी से सत्यापित कर पूर्ण अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाये जाने सनिश्चित किये जाये।

26 **लघु आपत्ति विवरणिका :–** लधु आपत्तियों का निपटारा स्थल पर ही कर दिया गया। अतः लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

27 **निष्कर्ष :–** लेखों के रख–रखाव में अत्याधिक सुधार की आवश्यकता है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर समुचित कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाये।

हस्ता/–
(राकेश कालरा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला–171009.
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्या :– V(34)-फिन(एल0ए0)–खण्ड–3–1595–1596

दिनांक, 01.03.2018शिमला–171009,

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

(1) निदेशक शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश शिमला–171002.

पंजीकृत (2) कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ठियोग, जिला शिमला (हिमाचल प्रदेश) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में वर्णित पैरों पर उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उतर इस कार्यालय को अंकेक्षण प्रतिवेदन जारी होने के एक माह के भीतर प्रस्तुत करें।

हस्ता/–
(राकेश कालरा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला–171009.
फोन नं0 0177–2620881

परिशिष्ट ''अ''

पैरा 1 (ग) में वर्णित

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/15 से 3/17 के पैरा/पैरों में वर्णित गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्यवाही की नवीनतम स्थिति

(1) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 06/73 से 03/74

1	पैरा 23(ई)	अनिर्णीत	

(2) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/79 से 03/81

1	पैरा 10(ए)	अनिर्णीत	

(3) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/84 से 03/85

1	पैरा 16	अनिर्णीत	

(4) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/91 से 03/94

1	पैरा 14	अनिर्णीत	

(5) संयुक्त निदेशक, श्री बजीर चन्द शर्मा की निरीक्षण रिपोर्ट

1	पैरा 9	अनिर्णीत	

(6) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1997 से 3/2004

1	पैरा 12	निर्णीत	(कार्यालय पत्र संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) खण्ड–1 दिनांक 14.9.17 के दृष्टिगत निर्णीत)
2	पैरा 13	अनिर्णीत	

3	पैरा 15(1)	अनिर्णीत	
4	पैरा 19(1)	अनिर्णीत	
5	पैरा 19(2)	अनिर्णीत	
6	पैरा 19(3)	अनिर्णीत	
7	पैरा 20	अनिर्णीत	
8	पैरा 23	अनिर्णीत	
9	पैरा 25(4)	निर्णीत	(कार्यालय पत्र संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) खण्ड–1 दिनांक 14.9.17 के दृष्टिगत निर्णीत)
10	पैरा 25(6)	निर्णीत	(नगर परिषद द्वारा दिये उत्तर के आधार पर)
11	पैरा 25(10)	निर्णीत	(नगर परिषद द्वारा दिये उत्तर के आधार पर)
12	पैरा 30(1)	अनिर्णीत	
13	पैरा 30(2)	अनिर्णीत	
14	पैरा 30(3)	अनिर्णीत	
15	पैरा 30(4)	अनिर्णीत	
16	पैरा 30(5)	अनिर्णीत	
17	पैरा 30(6)	अनिर्णीत	
18	पैरा 30(7)	अनिर्णीत	
19	पैरा 30(8)	अनिर्णीत	
20	पैरा 32(1)	अनिर्णीत	
21	पैरा 32(2)	अनिर्णीत	
22	पैरा 32(3)	अनिर्णीत	
23	पैरा 32(4)	अनिर्णीत	
24	पैरा 32(5)	अनिर्णीत	

25	पैरा 32(6)	अनिर्णीत	
26	पैरा 32(7)	अनिर्णीत	
27	पैरा 32(8)	अनिर्णीत	
28	पैरा 32(9)	अनिर्णीत	
29	पैरा 32(10)	अनिर्णीत	
30	पैरा 32(11)	अनिर्णीत	
31	पैरा 33	अनिर्णीत	
32	पैरा 35(1)	अनिर्णीत	
33	पैरा 35(2)	निर्णीत	(कार्यालय पत्र संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) खण्ड–1 दिनांक 14.9.17 के दृष्टिगत निर्णीत)
34	पैरा 35(3)	निर्णीत	(कार्यालय पत्र संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) खण्ड–1 दिनांक 14.9.17 के दृष्टिगत निर्णीत)
35	पैरा 37(2)	अनिर्णीत	

(7) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/04 से 03/07

1	पैरा 4(2)(क)(ख)	अनिर्णीत
2	पैरा 4(4)(क)	अनिर्णीत
3	पैरा 4(4)(ख)	अनिर्णीत
4	पैरा 4(4)(ग)	अनिर्णीत
5	पैरा 4(7)(1)	अनिर्णीत
6	पैरा 4(7)(2)	अनिर्णीत
7	पैरा 4(8)	अनिर्णीत
8	पैरा 6(1)	अनिर्णीत
9	पैरा 6(2)	अनिर्णीत

10	पैरा 6(3)	अनिर्णीत
11	पैरा 6(4)	अनिर्णीत
12	पैरा 6(5)	अनिर्णीत
13	पैरा 6(6)	अनिर्णीत
14	पैरा 7(1)	अनिर्णीत
15	पैरा 7(2)	अनिर्णीत
16	पैरा 7(3)	अनिर्णीत
17	पैरा 7(4)	अनिर्णीत
18	पैरा 7(6)	अनिर्णीत
19	पैरा 7(7)	अनिर्णीत
20	पैरा 7(8)	अनिर्णीत
21	पैरा 7(9)	अनिर्णीत
22	पैरा 7(10)	अनिर्णीत
23	पैरा 7(11)	अनिर्णीत
24	पैरा 7(12)	अनिर्णीत
25	पैरा 7(13)	अनिर्णीत
26	पैरा 7(14)	अनिर्णीत
27	पैरा 8(क)	अनिर्णीत
28	पैरा 8(ख)	अनिर्णीत

(8) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/07 से 03/11

1	पैरा 6 (5)	अनिर्णीत
2	पैरा 6 (5) (1)	अनिर्णीत
3	पैरा 6 (5) (2)	अनिर्णीत

4	पैरा 6 (6)	अनिर्णीत
5	पैरा 7 (1)	अनिर्णीत
6	पैरा 7 (2)	अनिर्णीत
7	पैरा 8 (1 से 3)	अनिर्णीत
8	पैरा 9	अनिर्णीत
9	पैरा 10 (1)	अनिर्णीत
10	पैरा 10 (2)	अनिर्णीत
11	पैरा 12	अनिर्णीत
12	पैरा 13	अनिर्णीत
13	पैरा 15	अनिर्णीत
14	पैरा 17	आंशिक निर्णीत
15	पैरा 18	अनिर्णीत
16	पैरा 19 (1)	अनिर्णीत
17	पैरा 20	अनिर्णीत
18	पैरा 21	अनिर्णीत
19	पैरा 23	अनिर्णीत
20	पैरा 23 (1)	
21	पैरा 24 (1 व 2)	अनिर्णीत
22	पैरा 25	आंशिक निर्णीत
23	पैरा 26	अनिर्णीत
24	पैरा 27	अनिर्णीत
25	पैरा 28	अनिर्णीत
26	पैरा 29	अनिर्णीत
27	पैरा 30	अनिर्णीत
28	पैरा 31 (1 व 2)	अनिर्णीत

(9) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2013 तक

1	पैरा 4 (3)	अनिर्णीत

2	पैरा 6 (2)	अनिर्णीत	
3	पैरा 6 (3)	अनिर्णीत	
4	पैरा 7 (1)	अनिर्णीत	
5	पैरा 7 (2)	अनिर्णीत	
6	पैरा 8 (2)	अनिर्णीत	
7	पैरा 10	निर्णीत	(कार्यालय पत्र संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) खण्ड–1 दिनांक 14.9.17 के दृष्टिगत निर्णीत)
8	पैरा 11	निर्णीत	(कार्यालय पत्र संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) खण्ड–1 दिनांक 14.9.17 के दृष्टिगत निर्णीत)
9	पैरा 12	निर्णीत	(कार्यालय पत्र संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) खण्ड–1 दिनांक 14.9.17 के दृष्टिगत निर्णीत)
10	पैरा 13	अनिर्णीत	
11	पैरा 14	निर्णीत	(कार्यालय पत्र संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) खण्ड–1 दिनांक 14.9.17 के दृष्टिगत निर्णीत)
12	पैरा 15	निर्णीत	(कार्यालय पत्र संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) खण्ड–1 दिनांक 14.9.17 के दृष्टिगत निर्णीत)
13	पैरा 16	अनिर्णीत	
14	पैरा 18	अनिर्णीत	
15	पैरा 19	अनिर्णीत	
16	पैरा 20	अनिर्णीत	

(10) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2003 से 3/2015 तक

1	पैरा 2	निर्णीत

2	पैरा 3	निर्णीत	(कार्यालय पत्र संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) खण्ड–1 दिनांक 14.9.17 के दृष्टिगत निर्णीत)
3	पैरा 4 (1)	निर्णीत	(वर्तमान स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन पैरा 4 (1) में वर्णित)
4	पैरा 4 (2)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 4 (2) में वर्णित)
5	पैरा 5	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 5 में वर्णित)
6	पैरा 6	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 6 में वर्णित)
7	पैरा 7	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 7 में वर्णित)
8	पैरा 8	अनिर्णीत	
9	पैरा 9	निर्णीत	(कार्यालय पत्र संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) खण्ड–1 दिनांक 14.9.17 के दृष्टिगत निर्णीत)
10	पैरा 10	निर्णीत	(कार्यालय पत्र संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) खण्ड–1 दिनांक 14.9.17 के दृष्टिगत निर्णीत)
11	पैरा 11	निर्णीत	(कार्यालय पत्र संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) खण्ड–1 दिनांक 14.9.17 के दृष्टिगत निर्णीत)
12	पैरा 12	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 12 में वर्णित)
13	पैरा 13	निर्णीत	
14	पैरा 14	निर्णीत	(प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर तथा

			गृहकर मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर में की प्रविष्टियों के आधार पर)
15	पैरा 15	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में वर्णित)
16	पैरा 16	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में वर्णित)
17	पैरा 17	आंशिक निर्णीत	(₹38513 की वसूली बकाया है)
18	पैरा 18	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में वर्णित)
19	पैरा 19	निर्णीत	(कार्यालय पत्र संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) खण्ड–1 दिनांक 14.9.17 के दृष्टिगत निर्णीत)
20	पैरा 20	आंशिक निर्णीत	(श्री मदन कुमार कनिष्ठ अभियन्ता से लाईसैन्स की वसूली ₹1710 बकाया में है)
21	पैरा 21	अनिर्णीत	
22	पैरा 22 (क)	निर्णीत	(कार्यालय पत्र संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) खण्ड–1 दिनांक 14.9.17 के दृष्टिगत निर्णीत)
23	पैरा 22 (ख)	अनिर्णीत	
24	पैरा 23	अनिर्णीत	
25	पैरा 24	निर्णीत	(दिये के उत्तर के आधार पर)
26	पैरा 25	अनिर्णीत	
27	पैरा 26	अनिर्णीत	
28	पैरा 27	अनिर्णीत	
29	पैरा 27 (1)	अनिर्णीत	
30	पैरा 27 (2)	अनिर्णीत	
31	पैरा 27 (2) (1)	अनिर्णीत	
32	पैरा 27 (2) (2)	अनिर्णीत	